राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग
परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर राजस्थान

क्रमांक: एफ 25 (43) परि/कंप्यूटर/12 157528 जयपुर दिनांक:– 18-09-14

कार्यालय आदेश संख्या 25/2014

विषय:– CSC/e-Mitra Kiosk से जारी cash receipt पर सेवाएं देने के सम्बंध मे दिशा निर्देश।

परिवहन विभाग की दस सेवाओं की नकद प्राप्तियो हेतु आमजन को अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध कराने को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 12 अगस्त, 2014 को सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग राजस्थान, जयपुर के अधीन Rajcomp Info Services Limited (RISL), जयुपर से MoU हस्ताक्षरित किया जा चुका है जिसके तहत विभाग की निम्न सेवाओ के लिए CSC/e-Mitra Kiosk प्रभारी शुल्क प्राप्त करने के लिए अधिकृत होगा:–

Purpose	Fee Amount in Rupees
1.Driving license : -	
(i) Learner's License	30/- for each category
(ii) New. Driving license	250/- (with test fee)
(iii) Renewal of DL	250/-
(iv) After grace period	250/- plus additional fee Rs. 50/- per year or part thereof.
(v) Duplicate License	200/-
(vi) Addition of new category	250/-(with test fee)
2. International Driving Permit fee	500/-
3. Vehicle Registration	
(i) Issue of Duplicate RC (a) Two wheeler (b) LMV	 30/- 100/-
(ii) Change of Residence	20/-
(iii) Cancellation of hire purchase/lease/hypothecation	100/-

CSC/e-Mitra Kiosk प्रभारी आवेदक से चयनित विभागीय सेवाओ के लिए निर्धारित शुल्क एवं 5 रू. कमीशन चार्ज वसूल कर CSC/e-Mitra Portal पर आवेदक के सम्बंधी विवरण दर्ज कर वाटर मार्क स्टेशनरी पर कैश रिसिप्ट जारी करेगा जिसमे शुल्क एवं कमीशन का अलग–अलग विवरण अंकित होगा। इस रिसिप्ट को आवेदक मूल मे

आवेदन पत्र के साथ नत्थीबद्व कर विभाग को वांछित सेवा के लिए प्रस्तुत करेगा। रसीद की पुष्टि के लिए CSC/e-Mitra Portal (http://www.rajonline.gov.in) पर रसीद में अंकित ट्राजेक्शन आई.डी. की एन्ट्री कर सत्यापित किया जा सकता है। यह नवीन व्यवस्था विभागीय कैश काउन्टर पर आये दिन होने वाली भीड एवं आमजन को अपनी सुविधानुसार किसी भी नजदीकी CSC/e-Mitra से राशि जमा करावाने के उद्देश्य से लागू की गई है।

CSC/e-Mitra से कैश प्राप्तियो का विवरण पोर्टल पर उपलब्ध MIS Report से प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए समस्त परिवहन कायालयो के लिए यूजर आई डी आवंटित किये जा चुके है, जिसे पृथक से भिजवाये जा रहे हैं। समस्त प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारियो से यह अपेक्षा की जाती है कि नित्य प्रतिदिन CSC/e-Mitra पोर्टल से अपने यूजर आई.डी. का उपयोग करते हुए Revenue Collection Register (RCR) प्रिन्ट करावे।

<u>सेवा देने की प्रक्रिया :–</u>

आवेदक को वांछित सेवा हेतु कार्यालय के कैश काउन्टर पर उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है अपितु उसे उस सेवा के लिए निर्धारित काउन्टर पर उपस्थित होना होगा।

<u>वाहन पंजीयन संबंधी सेवा</u> :– वाहन सॉफ्टवेयर में आवेदक को सेवायें देने के लिये CSC/e-Mitra कियोस्क के द्वारा जारी रसीद को वाहन सॉफ्टवेयर में उपलब्ध 'Fee – Record of manual fee for registred vehicle" के ऑप्शन को select करेगे। तत्पश्चात CSC/e-Mitra की रसीद पर अंकित "Token No." को "Recipt No." के कॉलम में दर्ज कर आवेदक द्वारा चाही गई सेवा प्रदान करेंगे।

<u>ड्राईविंग लाईसेंस संबंधी सेवा</u> :– सारथी सॉफ्टवेयर में आवेदक को सेवायें देने के लिये संबंधित कर्मचारी CSC/e-Mitra कियोस्क द्वारा जारी रसीद को सारथी सॉफ्टवेयर में उपलब्ध ''Cashier – Manual Receipt" as above के ऑप्शन CSC/e-Mitra की रसीद पर अंकित "Token No." को "Recipt No." के कॉलम में दर्ज कर आवेदक द्वारा चाही गई सेवा प्रदान करेंगे।

CSC/e-Mitra द्वारा जारी होने वाली रसीदो का प्रारूप निम्नानुसार होगाः–

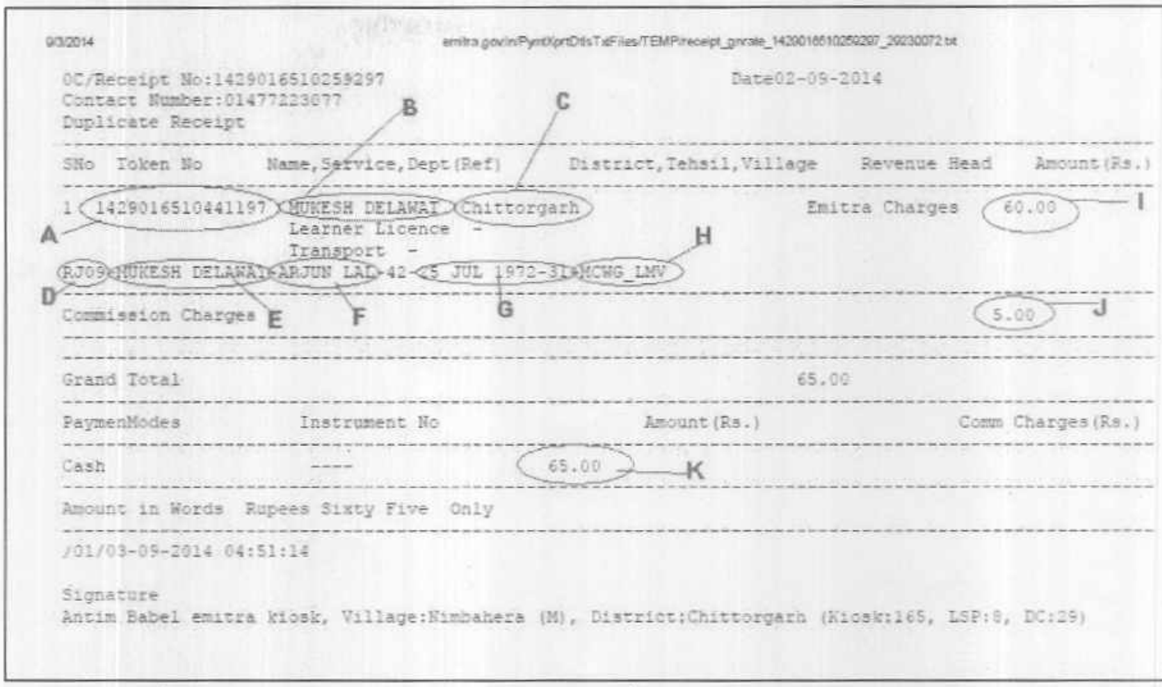

9/3/2014 emitra.gov.in/PymtXprtDtlsTxtFiles/TEMP/receipt_gnrate_1429016510259297_29230072.txt

0C/Receipt No:1429016510259297 Date02-09-2014
Contact Number:01477223077
Duplicate Receipt

SNo	Token No	Name,Service,Dept(Ref)	District,Tehsil,Village	Revenue Head	Amount(Rs.)
1	1429016510441197	MUKESH DELAWAT Learner Licence - Transport -	Chittorgarh	Emitra Charges	60.00

RJ09-MUKESH DELAWAT-ARJUN LAL-42-25 JUL 1972-31-MCWG_LMV

Commission Charges 5.00

Grand Total 65.00

PaymenModes	Instrument No	Amount(Rs.)	Comm Charges(Rs.)
Cash	----	65.00	

Amount in Words Rupees Sixty Five Only

/01/03-09-2014 04:51:14

Signature
Antim Babel emitra kiosk, Village:Nimbahera (M), District:Chittorgarh (Kiosk:165, LSP:8, DC:29)

A – टोकन नम्बर
B – प्रार्थी का नाम
C – कार्यालय का नाम
D – कार्यालय कोड
E – प्रार्थी का नाम
F – पिता/पति का नाम
G – जन्म तिथी
H – लाईसेंस आवेदन श्रेणी
I – विभागीय राशि
J – ई–मित्र कियोस्क की कमीशन राशि
K – कुल राशि

उपरोक्त आदेशों की अक्षरशः पालना की जावे। इस योजना का प्रचार–प्रसार स्थानीय स्तर पर किया जावे एवं यह सुनिश्चित किया जावे कि CSC/e-Mitra द्वारा रसीद जमा कराने वाले आवेदको को अनावश्यक असुविधा न हो।

(राजेश्वर सिंह)
परिवहन आयुक्त एवं प्रमुख शासन सचिव

क्रमांकः एफ 25 (43) परि/कम्प्यू./12/57529-57534 जयपुर, दिनांकः–18/9/14

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त एवं प्रमुख शासन सचिव।
2. समस्त मुख्यालय अधिकारीगण।
3. समस्त अपर परिवहन आयुक्त।
4. समस्त प्रादेशिक/अति.प्रादेशिक परिवहन अधिकारी।
5. समस्त जिला परिवहन अधिकारी।
6. रक्षित पत्रावली।

अपर परिवहन आयुक्त (स.सु.)